राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, राजस्थान जयपुर।

कमांकः– एफ. 1(8)/रि.टा.बे./पीएफ/लूज/2022/2482 दिनांकः– 16/11/22

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 के नियम 14 के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि जीपीएफ नियम 2021 के नियम 14 के अनुसार एक अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर अपने खाते में जमा राशि का निम्नानुसार आहरण करने का प्रावधान किया गया है:–

(अ) बिना कारण बताये आहरण की स्थिति में:

क्र. सं.	आहरण प्रतिशत	सेवा अवधि
1.	10 प्रतिशत	5 वर्ष से 15 वर्ष तक की सेवा पर
2.	30 प्रतिशत	15 वर्ष से अधिक किन्तु 25 वर्ष से कम सेवा पर
3.	40 प्रतिशत	25 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्ष से कम सेवा पर
4.	50 प्रतिशत	30 वर्ष से अधिक सेवा पर (अधिकतम)
5.	90 प्रतिशत	अभिदाता की अधिवार्षिकी सेवानिवृति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर

(ब) कारण उल्लेखित करने की स्थिति में आहरण:

क्र. सं.	आहरण प्रतिशत	कारण
1.	50 प्रतिशत	1. अभिदाता स्वयं या उसके संतान की उच्च शिक्षा हेतु। 2. वाहन क्रय। 3. स्थाई उपभोग की वस्तुओं का क्रय। 4. अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित माता–पिता की बीमारी पर व्यय। 5. अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आदेशित किये जाये। नोट–आहरण की सीमा हेतु वास्तविक व्यय अथवा जमा का 50 प्रतिशत जो भी कम हो तक की सीमा में ही आहरण किया जा सकेगा।
2.	75 प्रतिशत	1. भवन निर्माण, भू–खण्ड क्रय, आवास क्रय, फ्लेट क्रय निर्मित या अधिग्रहित भवन या आवस पुनर्निमाण, विस्तार, परिवर्धन, भू–खण्ड पर भवन निमार्ण 2. अभिदाता की स्वयं या उसके पुत्रों/पुंत्रियों की सगाई/विवाह हेतु। 3. अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आदेशित किये जावें।

उपर्युक्त नियमों के क्रियान्वयन में विभागीय पोर्टल पर व्यवस्था की हुई है कि अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर अपने जीपीएफ खाते में से जमा राशि के अधिकतम 75 प्रतिशत एवं सेवावधि 60 माह से कम रहने पर 90 प्रतिशत तक आहरण स्वीकृति किया जा सकेगा। उक्त सीमा तक राशि का आहरण एकमुश्त या एक से अधिक बार भी अभिदाता कर सकता हैं।

विभाग द्वारा नियम 14 की उपर्युक्त व्याख्या के विपरीत कतिपय अंशदाताओं द्वारा यह मांग की जा रही है कि वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध राशि के विरूद्ध अभिदाता चाहे जितनी बार आवेदन करे उसे हर बार 75 या 90 प्रतिशत तक आहरण स्वीकृत किया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया जाता है तो कोई भी अभिदाता एक वर्ष में ही विगत वर्ष तक की जमा राशि आहरित कर सकता है।

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 के नियम 20 में नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो संबंधित नियम के निर्वचन हेतु प्रकरण राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्णय हेतु भिजवाये जाने का प्रावधान निहित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि यदि वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष पर अधिकतम आहरण की सीमा नहीं रखी जाती है तो अभिदाता द्वारा बार–बार आहरण किया जायेगा जिससे एक ओर तो अभिदाता के जीपीएफ खाते में अत्यन्त न्यून राशि अवशेष रह जायेगी एवं बार–बार आहरण लिये जाने से अनेक भुगतान डेबिट प्राप्त होने से रिकॉर्ड संधारण में कठिनाई उत्पन्न होगी, जो विभाग एवं अभिदाता के हित में नहीं होगी।

20

(रामप्रसाद परसोया)
अतिरिक्त निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ. 1(8)/रि.टा.बे./पीएफ/लूज/2022/2483 दिनांकः– 16/11/22

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।

संयुक्त निदेशक (पीएफ)